सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद ....विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.30(2)आरबी / 2025 / 5704
दिनांक : 15 अक्टूबर, 2025

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 5101–5102 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति का चयन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक पद पर होने के दृष्टिगत इन्हें दिनांक 12.09.2025 को मध्याह्न पश्चात से डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरू पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 24(9) व 24(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ. एम. के. आसेरी, कुलगुरू, मारवाड चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर को नियमित कुलगुरू की नियुक्ति अथवा अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था (stop-gap arrangement) अंतर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0 /
(हरिभाऊ बागड़े)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.30(2)आरबी/2025/ 5705 दिनांक : 15 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ. एम. के. आसेरी, कुलगुरू, मारवाड चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलगुरू, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. कुलसचिव, मारवाड चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान